FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0012 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 13/03/2025 20:09 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/04/2020 **Date To (दिनांक तक):** 31/03/2021

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/03/2025 **Time (समय):** 20:09 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 019 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/03/2025 20:09 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 40 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला अम्बाला,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक राजेश कुमार

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1978 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**भ0नि0ब्यूरो अम्बाला, AMBALA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**भ0नि0ब्यूरो अम्बाला, AMBALA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-8182000234

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	महिन्द्र कुमार सैल्समैन		Father's Name: मांगे राम	1. राऊ माजरा,बराडा AMBALA,HARYANA,INDIA
2	गोपाल शर्मा सैल्जमैन		Father's Name: जगदीश कुमार	1. 65,वार्ड न 13,मिल्क रोड,नारायणगढ, AMBALA,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है-

सेवा में,

प्रबंधक थाना

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्री मान जी,

जांच क्रमांक 03 दिनांक 21.06.2024 अम्बाला माननीय न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ द्वारा CWP No. 5898 में जारी किए गए आदेश दिनांक 09.05.2024 अनुसार कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांक 12134/I-1/ACB(H) दिनांक 24.06.2024 के अनुसार रजिस्टर की गई और कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मंडल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 682 दिनांक 26.06.2024 के अनुसार पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इस आरोप की पड़ताल की जानी थी कि वर्ष 2020 के दौरान हरियाणा राज्य के किसानों द्वारा हरियाणा बीज विकास निगम (HSDC) से खरीद किए गए गेहूं के बीज के सम्बन्ध में तैयार किए गए सरकारी रिकार्ड में अंकित गेहूं का बीज खरीद करने वाले किसानों के नामों के सामने किसान द्वारा खरीद किए गए असल गेहूं की थैलियों की मात्रा के अतिरिक्त ज्यादा मात्रा में गेहूं के बीज की थैली की खरीद करने बारे दर्शाकर व फर्जी किसानो के नाम गेंहू का बीज बेचा दर्शाकर झूठा रिकार्ड तैयार करके गेहूं के बीज में दी जाने वाली सब्सिडी में हरियाणा बीज विकास निगम (HSDC) के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गबन करके सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। पड़ताल पर पाया गया कि हरियाणा बीज विकास निगम मर्यादित (राज्य सरकार का सस्थांन) बेज 3-6, बीज भवन सैक्टर-2 पंचकूला द्वारा सर्कूलर नम्बर HSDC/MKTG-F-81(138-A)/2020/7004-7015 दिनांक 05.10.2020 जारी किया गया था जिसमें दर्शाया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा रबी सीजन 2020-21 में गेहूं कि किस्में HD 3086, WH 1105, DBW 90,HD 2967, PBW 677, PBW 725, PBW 723,WH 1124,WH- 1080, WH-1142,WB-2 के बीज के लिए 3350/-रू0 प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है जिसमें से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा 1000/-प्रति क्विंटल के हिसाब से हरियाणा बीज विकास निगम को देगा व उसकी कटौती उपरान्त 2350/-रू0 प्रति क्विंटल के हिसाब से निगम किसानों को बीज उपलब्ध करवाएगा। जिसमें 940/-रू0 प्रति बेग (40 कि0ग्रा0) के हिसाब से किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाएगा।

जांच पर पाया गया कि वर्ष 2020-2021 में जिला अम्बाला के बीज बिक्री केन्द्र अम्बाला को 5604 क्विटल, बीज बिक्री केन्द्र बराडा को 3258.80 क्विटल और बीज बिक्री केन्द्र नारायणगढ़ को 3086.40 क्विटल गेहूं का बीज ब्रिक्री के लिए भेजा गया था और बीज बिक्री केन्द्र अम्बाला द्वारा 5280 क्विटल, बीज बिक्री केन्द्र बराडा द्वारा 3010.40 क्विटल और बीज बिक्री केन्द्र नारायणगढ़ को 3010.40 क्विटल गेहूं का बीज ब्रिक्री किया गया था तथा बीज बिक्री केन्द्र अम्बाला द्वारा 324 क्विटल, बीज बिक्री केन्द्र बराडा द्वारा 158 क्विटल और बीज बिक्री केन्द्र नारायणगढ़ द्वारा 76 क्विटल गेहूं का बीज दूसरे केन्द्रो में स्थानातंरण किया गया था। प्राप्त किये गये रिकार्ड के अनुसार जिला अम्बाला में हरियाणा बीज विकास निगम लि. के बीज बिक्री केन्द्र अम्बाला के सेल्जमैन अमित कुमार द्वारा वर्ष 2020-21 में 1891 किसानो को 5280 क्विटल, बीज बिक्री केन्द्र बराडा के सेल्जमैन महिन्द्र कुमार द्वारा वर्ष 2020-21 में 1884 किसानो को 3100.80 क्विटल और बीज बिक्री केन्द्र नारायणगढ़ के सेल्जमैन गोपाल शर्मा सेल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र नारायणगढ़ हरियाणा बीज विकास निगम पुत्र श्री जगदीश कुमार वासी म.नं. 65 वार्ड नं. 13 मिल्क रोड, नारायणगढ़ जिला अम्बाला द्वारा बीज वर्ष 2020-21 में 1907 किसानो को 3010.40 क्विटल गेहूं का बीज बिक्री किया गया जांच के दौरान शामिल किये गये किसानो में 51 किसान ऐसे पाये गये है जिन्होने ब्रिक्री रजिस्टर के अनुसार एक से अधिक क्र.स. पर बीज की खरीद की गई है। बीज बिक्री केन्द्र नारायणगढ़ से गेहू का बीज प्राप्त करने वाले कुल 264 किसानो को शामिल जांच करके कथन अंकित किये गये। जिसमें श्री अजय पाल पुत्र श्री सरदार चन्द वासी गांव पंजलासा तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला द्वारा बीज ब्रिकी केन्द्र नारायणगढ़ से रिकार्ड के अनुसार गेहूं के बीज की किस्म 3086 के 7 बैग खरीद करने दर्शाए हुए है जबकि उसके कथनानुसार उस द्वारा खरीद नही किये गये हैं। इसी प्रकार श्री प्रदीप

कुमार पुत्र श्री सतपाल सिंह वासी गांव खेडकी जट्टान तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला द्वारा बीज ब्रिकी केन्द्र नारायणगढ के रिकार्ड के अनुसार उस द्वारा गेहूं के बीज की किस्म 2967 के 04 बैग तथा 1105 के 02 बैग, किस्म 3086 के 05 बैग कुल 11 बैंग दर्शाए हुए है। जबकि श्री प्रदीप कुमार के कथनानुसार उस द्वारा केवल 4 बैग जिसमें 2 बैग 2967 व 2 बैग 1105 के खरीद किए गए है।

इसी प्रकार बीज बिक्री केन्द्र बराडा से गेहू का बीज प्राप्त करने वाले 250 किसानो को शामिल जांच करके कथन अंकित किये गये। जिसमें श्री मोहन लाल पुत्र श्री राम किशन वासी गांव सुहाता तहसील बराडा जिला अम्बाला के कथनानुसार उस द्वारा बीज बिक्री केन्द्र बराडा से गेहूं के बीज की किस्म 2967 केवल 04 बैग खरीद किये है परन्तु बीज बिक्री केन्द्र बराडा के रिकार्ड में उसके नाम से गेहूं के बीज की किस्म 2967 के 15 बैग व 725 के 6 बैग कुल 21 बैग खरीद करने दर्शाये गये है जोकि उसके कथनानुसार उस द्वारा खरीद किये गये गेंहू के बीज से 17 बैग अधिक दर्शाए हुए है जोकि उस द्वारा खरीद नही किये गये है। इसी प्रकार श्री त्रलोचन सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह वासी गांव उगाला तहसील बराडा जिला अम्बाला द्वारा बीज ब्रिकी केन्द्र बराडा से रिकार्ड के अनुसार गेहूं के बीज की किस्म 2967 का एक बैग व 725 का एक बैग कुल 2 बैंग खरीद करने दर्शाए हुए है, जबकि उसके कथनानुसार उस द्वारा खरीद नही किये गये है।

महिन्द्र कुमार सेल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र बराडा हरियाणा बीज विकास निगम पुत्र श्री मांगे राम वासी गांव राऊ माजरा तहसील व थाना बराडा जिला अम्बाला और गोपाल शर्मा सेल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र नारायणगढ़ हरियाणा बीज विकास निगम पुत्र श्री जगदीश कुमार वासी म.नं. 65 वार्ड नं. 13 मिल्क रोड, नारायणगढ़ जिला अम्बाला द्वारा अपने अपने बीज बिक्री केन्द्र के रिकार्ड में बदनियती से गलत इन्द्राज करने व धोखाधडी करके रिकार्ड में हेराफेरी करने का अपराध किया जाना पाए जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध तत्कालीन प्रचलित कानून भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. व 13(1)a r/w 13(2) PC Act. 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने की अनुसंशा व वर्ष 2020-21 में बीज वितरण केन्द्रो द्वारा किसानो को सब्सिडी पर वितरण किये गये गेहू के बीज के आंकडो की संपरीक्षा (Audit) करवाने जाने की अनुसंशा करके अन्तिम रिपोर्ट भिजवाई गई थी। जिस पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग ने पृष्ठांक 66/46/2024-6 VII चण्डींगढ़ दिनांक 04.03.2025 व कार्यारलय अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांक क्रमांक 3677/I-1/ACB(H) दिनांक 05.03.2025 अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की संस्तुति से सहमती प्रकट करते हुये इस मामले में धारा 409, 419, 420, 467, 471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)a r/w 13(2) PC Act. 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं।

अतः महिन्द्र कुमार सेल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र बराडा हरियाणा बीज विकास निगम पुत्र श्री मांगे राम वासी गांव राऊ माजरा तहसील व थाना बराडा जिला अम्बाला और गोपाल शर्मा सेल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र नारायणगढ़ हरियाणा बीज विकास निगम पुत्र श्री जगदीश कुमार वासी म.नं. 65 वार्ड नं. 13 मिल्क रोड, नारायणगढ़ जिला अम्बाला के विरूद्ध धारा 409, 419, 420, 467, 471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)a r/w 13(2) PC Act. 1988 के तहत अभियोग अभियोग अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट, अम्बाला व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रति उच्च अधिकारियों को भेजी जावें। मिशल अभियोग व सम्बन्धित रिकॉर्ड तफतीशी अधिकारी को भेजा जावे। अनुसंधान के दौरान सम्बन्धित अधिकारी को अन्य अधिकारियो/कर्मचारियों की संलिप्तता बारे भी देख लिए जाने का सुझाव दिया जाता है।

अज थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला

-sd- Rajesh Kumar
राजेश कुमार,
निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अम्बाला।
दिनांक 13.03.2025
At. 7.40pm.

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा तहरीर निरीक्षक राजेश कुमार, थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला बर खिलाफ महिन्द्र कुमार सैल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र बराडा, हरियाणा बीज विकास निगम पुत्र श्री मांगे राम वासी गांव राउ माजरा तहसील व गोपाल शर्मा सेल्जमैन बीज बिक्री केन्द्र नारायणगढ़ हरियाणा बीज विकास निगम पुत्र श्री जगदीश कुमार वासी म.नं. 65 वार्ड नं. 13 मिल्क रोड, नारायणगढ़ जिला अम्बाला बाजूर्म 409,419,420,467,471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)A

r/w 13(2) PC Act. 1988 थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 12 दिनांक 13.03.2025 धाराधीन 409,419,420,467,471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)A r/w 13(2) PC Act. 1988 थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब अम्बाला की सेवा मे बजरीया ई-मेल व सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। हस्ब आदेश अफसरानबाला अभियोग का मन महिला निरीक्षक द्वारा अमल मे लाया जायेगा नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर मय रिकार्ड रखा गया जो। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** BIMLA DEVI **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1127AMB **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					**Is pox pitted:** Yes
2	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)